

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा।

आज प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न्यायालय में जमा किया गया । तदनुसार वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(अश्वनी कुमार-I)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,इटावा।
JO Code UP2076